10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(21)

नि0 -153 -PBR-16

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) बेंच भोपाल

000

निगरानी क्रमांक

चिन्धु वल्द फत्तू

वैध गुरुजी के बाजू में प्लाट नं. 50

वार्ड नं. 5, पार्वती नगर नागपुर (महा.)

..निगरानीकर्ता

R. M.
निगरानी अधिवक्ता द्वारा पेश
T. Coll. Betul
30/12/2015

विरुद्ध

रूप किशोर व. उमराव जाति किराड़

निवासी बागदा, तह. जिला बैतूल

..उत्तरार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा.सं. 1959

46

क्रमांक............
रजिस्टर्ड ...... आज
दिनांक 7-1-16 को प्राप्त
...... कोर्ट
राजस्व ...... म.प्र. ग्वालियर

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न विनय है -

यह निगरानी राजस्व प्रकरण क्रमांक 1083अ-12 वर्ष 2014-15 मौजा बागदा, तह. जिला बैतूल आदेश दि. 25.9.14 श्रीमान तहसीलदार बैतूल पक्षकार रूपकिशोर विरूद्ध चिन्धु व अन्य से दुखित एवं क्षुब्ध होकर निगरानी कर्ता निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी याचिका उपरोक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत करता है तथा विलम्ब क्षमा हेतु प्रथक से आवेदन पेश कर रहा है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 153-पीबीआर/16 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-2018	उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 25-9-14 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 30-12-15 को एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक को दिनांक 8-12-15 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के उपरांत अवलिम्ब निगरानी प्रस्तुत करना चाहिए थी, किन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं कर विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है । अत: विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में बताये गये कारण समाधानकारक नहीं है । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- 'धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।'' माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	